सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : बडौदिया, कैम्प दिनांक 28.05.2017

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 06/2018 **दायर तारीख :–** 04.01.2018

1. नानूराम
2. प्रभूदयाल
3. रामकरण
4. श्रवण

} पुत्रान पांचूराम, जाती गुर्जर निवासी पूठाला, बामणवास तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

5. कमली
6. शादी

} पुत्रीयां पांचूराम हाल निवासी रामसिंहपुरा, पालडी तहसील विराटनगर

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर

—— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्थायी सीमा निर्धारण

उपस्थित : श्री अनिल कुमार कौशिक, अधिवक्ता प्रार्थीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 28.05.2018

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बामणवास के खसरा नम्बर 2126/3105/0.50 हैक्टेयर की खातेदारी संयुक्त रूप से प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार के सक्षम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसीलदार विराटनगर के आदेश क्रमांक : भू.अ./2017/1649 दिनांक 25.05.2017 की पालना में भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हलका द्वारा दिनांक 26.05.2017 को सीमाज्ञान मौके पर करवा लिया है, परन्तु प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान से संतुष्ट नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि ग्राम बामणवास के खसरा नम्बर 2126/3105/0.50 हैक्टेयर की सीमा का सही विनिश्चयकरण एवं सीमांकन करवाते हुए मौके पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करें।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2070–2073, नकल नक्शा ट्रेस, नकल फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान 26.05.2017 आदि पेश किये।
4. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बडौदिया में पेश हुई। प्रार्थीगण व्यक्तिशः उपस्थित हुए तथा भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन करते हुए न्यायालय आदेशिका पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये।
5. उपस्थित पक्षकारान,एवं पैरोकार सरकार को मजमा–ए–आम सुना गया ।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम बामणवास के खसरा नम्बर 2126/3105/0.50 हैक्टेयर की खातेदारी संयुक्त रूप से प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण का तर्क रहा कि मौके प्रार्थीगण ने दिनांक 26.05.2017 को तहसीलदार विराटनगर के आदेश से सीमाज्ञान करवाया है, उक्त सीमाज्ञान से प्रार्थीगण संतुष्ट नहीं है अतः आराजी की पत्थरगढी करवायी जावे। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।
7. प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण की वर्णित भूमि वाके ग्राम बामणवास के खसरा नम्बर 2126/3105/0.50 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट बडौदिया दिनांक 28.05.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर